ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 142-145
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

महिला पुलिस और मानवाधिकार

डॉ0 साधना यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, श्री अग्रसेन कन्या पी.जी.कालेज, वाराणसी (उ0प्र0) भारत

Received-27.11.2023, Revised-02.12.2023, Accepted-08.12.2023 E-mail: sadhna.yadav1977@gmail.com

सारांशः ***सृजन और उपलब्धि के प्रगति पथ पर निरंतर आगे पढ़ते हुए महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी शक्तियों को प्रदर्शित कर रही है। शिक्षा, खेल, स्वास्थ, राजनीति, पत्रकारिता, रक्षा आदि ऐसा कोई क्षेत्र नही बचा है, जहाँ महिलाओं ने अपनी सशम्त उपस्थिति दर्ज न की हो। पुलिस विभाग में भी महिलाये ऊँचें – ऊँचें पदों पर विद्यमान है, लेकिन जब समानता की बात आती है तो आज भी महिला और महिला पुलिस दोनों को ही समाज में वह स्थान नहीं प्राप्त हो पाया है, जो स्थान समाज में पुरूषों का है। अतीत से ही महिला मानवाधिकारों के हनन की घटनायें सामने आ रही है।***

कुंजीभूत शब्द– प्रगति पथ, शिक्षा, खेल, स्वास्थ, राजनीति, पत्रकारिता, पुलिस विभाग, महिला मानवाधिकारों, समानता।

इतिहास नदी की धारा की तरह है। नदी की धारा कभी प्रबल वेग से बहती है, तो कभी शांत, पर नदी कभी थमती नहीं ठीक उसी प्रकार मानव सम्यता और संस्कृति का विकास प्रारम्भ हुआ जो अविरल रूप से जारी है। मानव विकास के ऐतिहासिक अनुभवों के पश्चात ही मानवाधिकारों की अवधारणा का जन्म हुआ। सामान्य रूप से मानवाधिकारों को देखा जाय तो मानव जीवन में भोजन पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल शोषण उत्पीडन पर अंकुश, महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से सुरक्षा उसके शारीरिक शोषण पर अंकुश प्रवास का अधिकार, धार्मिक हिंसा से रक्षा आदि को लेकर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जिन्हें मानवाधिकार की क्षेणी में रखा गया है।

मानवाधिकार हर व्यक्ति का (पुरूष हो या महिला) नैसर्गिक या प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आजादी, बराबरी और मम्मन का अधिकार आता है।

वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं के प्रति शोषण, अत्याचार तथा उत्पीड़न सार्वभौमिक तथ्य है। आज सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को लगभग 60 वर्ष पूरे होने को हैं, फिर भी मानवाधिकारों का उल्लंघन समाज में प्रतिदिन दिखाई देता है, विशेष तौर पर महिलाओं के प्रति। पुलिस विभाग की बात करें तो वहां महिला–पुलिस को दोयम दर्जा ही प्राप्त हुआ है। उन्हें भी अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

अपने स्थापना काल से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में महिला मानवाधिकार का विचार अस्तित्वान हो गया था। महिलाओं के लिए समानता का मुद्दा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और 1946 में महिलाओं की स्थिति के बारे में योजना के गठन के समय से ही संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का मुख्य विषय रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य निम्न है। –

– महिला पुलिस की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
– मानवाधिकारों की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
– महिला पुलिस मानवाधिकारों से कितनी सुन्तुष्ट है।
– महिला पुलिस के अधिकारों को हनन का अध्ययन।
– महिला पुलिस के अधिकारों व सम्मान में गिरावट के क्या कारण थे ?

महिला पुलिस के भी कुछ मानवाधिकार है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, काम करने का अधिकार, सम्मान का अधिकार, समता का अधिकार आदि लेकिन।

महिला समाज का अभिन्न अंग है। अतीत से ही महिला का समाज में सर्वोपरि स्थान रहा है। महिला का आदर और उसके हितों की रक्षा करना भारतीय संस्कृति की पुरानी परम्परा रही है, उसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है। परन्तु शत वर्षो में महिलाओं के मानवाधिकारो का जितना उलंघन हुआ है, शायद पहले कभी नहीं हुआ।

महिला पुलिस का शाब्दिक अर्थ – आरक्षी या सिपारी है। Police शब्द का उद्भव फ्रेच शब्द Policer से हुआ है। जिसका अर्थ व्यवस्था कायम रखना। स्कॉटलैण्ड में शक्ति व्यवथा हेतु सर्वप्रथम पुलिस शब्द का उपयोग किया गया।

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 2 राज्य सूची में प्रविष्ट 1 के अन्तर्गत पुलिस का उल्लेख हुआ है। प्रत्येक राज्य को पुलिस बल के गठन का अधिकार है और उनके मानवाधिकारों का संरक्षण भी राज्य का दायित्व है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार पुलिसिंग का तात्पर्य स्मार्ट पुलिसिंग से है, स्मार्ट पुलिसिंग का अर्थ निम्न है –

"S"- का मतलब स्यूम्ट परंतु सैंसिटिव है।
"M"- का मतलब मॉडल और मोबाइल है।
"A"- का मतलब अकाउंटेबल है।
"R"- का मतलब रिलायबल और रिस्पान्सबिल।
"T"- का मतलब टेक्नोसेवी और ट्रेंड।

अर्थात् अच्छी दिखाई देने वाली चुस्त पुलिस चाहे वह महिला के सन्दर्भ में हो या पुरूष के।

सदरलैण्ड के अनुसार– पुलिस मूल रूप से कानून स्ववस्था बनाए रखने एवं दण्ड विधि के प्रवर्तित करने वाला अभिकरण

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

है। पुलिस को (महिला पुलिस) समाज में सुरक्षा की प्रथम पंक्ति माना गया है। भारत में पहली महिला राज्य महिला पुलिस अधिकारी 1933 में केरल के श्रावनकोर में बनी। किरन बेदी 1972 में भारत की प्रथम I.P.S. अधिकारी बनी।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सम्भवतः प्रथम राष्ट्र है जिसने कि विश्व में पहली बार महिला पुलिस के रूप में 'पुलिस मेंट्रस' को न्यूयार्क शहर में सन् 1845 में नियुक्त किया। जर्मनी ऐसा पहला राष्ट्र था, जिसने अपनी सरकार में महिला पुलिस की नियुक्ति की।

वर्तमान समय में भारत में महिला पुलिस की अवधारणा एक दम नयी है। सर्वप्रथम 1939 में कानपुर में महिला पुलिस की भर्ती की गयी। जिन्हें 'विशेष पुलिस आरक्षक' कहा गया और इनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से की गयी। महिलाओं को पुलिस में स्थायी नियुक्तियां स्वतंत्रता के बाद ही जगह मिल पाई। दिल्ली और पंजाब ने सबसे पहले 1948 में महिला पुलिस को नियुक्तिया देकर देश में अग्रणी स्थान बनाया। 1975 तक देश के हरेक राज्य में महिला पुलिस की नियुक्तियां की गयी।

केन्द्र सरकार ने 2009 में सभी राज्यों में महिला थाना खोलने की सिफारिस की। पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो 2014 के अनुसार भारत में 17.2 लाख पुलिस कर्मचारी है जिसमें लगभग 1.02 लाख महिला पुलिस कर्मी है।

वे अधिकर जो सभी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते है और मनुष्य के रूप में जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, मानवधिकार कहलाते है। आज मानवाधिकार का जो रूप हम देखते है उसकी जड़ में 'जियो और जीने दो' की मूल अवधारणा शामिल है। मानवाधिकार का तात्पर्य यह है कि लिंग, धर्म, जाति, मूलवंश, देश, आार्थिक स्थिति जैसे भेदभाव मूलक विचारों को त्याग कर मानव को समुचित विकस, संरक्षण तथा ससम्माान जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना, जो उसे जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्तों तथा मौलिक अधिकारों को इसी भावना को ध्यान में रख्ते हुए स्थान दिया गया है।

मानवाधिकार के सम्बर्धन और संरक्षण में का जो आंदोलन आज विश्वस्तर पर चल रहा है वह ऐसा प्रतित होता है कि इसका विकास अभी हाल का ही है, किन्तु ऐसा नहीं है इसकी जड़े अतीत में है। मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में राजा और सामन्तों के मध्य समझौता हुआ। जिसे 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है– में मानवाधिकार की पृष्ठभूमि तैयार की।

15 जून 1215 ई0 को इंग्लैण्ड में स्वतंत्रताओ के लिए एक समझौता हुआ जिसे मैग्नाकार्टा या ग्रेट चार्टर कहा जाता है। 1689 में ब्रिटेन में हुयी क्रान्ति ने मानवाधिकार की अवधारणा का विस्तार किया।

वास्तव में, मानवाधिकार संबंधी गतिविधियां द्वितीय विश्वयुद्ध का परिणाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित हुए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेन्ट (1882 – 1945) ने एक भाषण् में मनुष्य की चार मूलमूत स्वतंत्रताओं की बात कही संयुक्त राष्ट्र संघ 10 दिसम्बर 1948 को मनवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Vniversat Declaration of Human Rights) की गयी। एक बहुत बड़ा संयोग यह था कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारो पर चर्चा हो रही थी उसी समय भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था। परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को उच्च स्थान देते हुए उसे मौलिक अधिकारों के खण्ड में स्थान दिया है और इसके रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौपी गयी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा पत्र पर भारत ने 1948 में हस्ताक्षर किया और संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से मानवाधिकारों को मान्यता दी। जो संविधान के भाग – 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद (14–32) तक भारत के नागरिकों (कुछ मामलों में अनागरिको को) अधिकार प्राप्त है। और इस अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में संवैधानिक उपचार के रूप में वर्णित है। केन्द्र सरकार द्वारा इन अधिकारों के संरक्षण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए जाने वाले मानवाधिकार संबंधी उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मान अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (Protection of Human Rights Act 1993) के अन्तर्गत किया जाता है। यह सभी राज्यों की मानवाधिकार आयोग (State Human Rights commission) के गठन का भी निर्देश देता है। आधिनियम में मानवाधिकार संबंधी मामलो को निपटाने हेतु प्रत्येंक जिले में मुख्यालय पर एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना तथा अधि0 की धारा 31 के अनुसार, इन न्यायालयों में अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान है।

साहित्य समीक्षा – संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से ताप्तर्य उस अध्ययन से है, जो शाध समस्या के चयन के पहले अथया बाद में उस समस्या पर पूर्व में किये गये शोध कार्यों, विचारों, सिद्धान्तों, कार्यविधियों, तकनीक शोध के दौरान होने वाली समस्याओं आदि के बारे में जानने के लिए किया जाता है।

एम. ए. अंसारी ने अपनी पुस्तक 'राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी' के माध्यम से महिलाओं के मानवाधिकारों का वर्णन किया है। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी है। जिसके माध्यम से महिलायें अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके तथा अत्याचार होने पर आयोग की शरण ले सके।

श्री तपन चक्रवर्ती (पूर्व वरिष्ठ अन्वेषक पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरों) ने 'भारतीय महिला पुलिस' विषय पर प्रकाश डालते हुए कहते है कि – हमें महिला पुलिस की आवश्यकता पर बल देना चाहिए।

पद्मा अय्यर 'ह्यूमन राइट ऑफ विमिन' पोईन्टर पब्लिशर्स जयपुर 2006 महिला मानवाधिकारों के सैद्धान्तिक स्वरूप को रेखांकित करती यह पुस्तक – महिला मानवाधिकारों के उद्विकास से लेकर समसामयिक परिप्रेक्ष्य में महिला अधिकारों की बहल को अपने कलेवर में समावित करती है।

सुनील गोयल – संगीता गोयल ने अपनी पुस्तक 'भारतीय समाज में' नारी में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक समाज में व्याप्त महिला की स्थिति पर प्रकाश डाला एवं इसके साथ ही महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनी प्रावधानों पर भी अध्ययन किया गया है।

डा0 किरण वेदी – ने अपनी पुस्तक 'मुद्दें और दृष्टिकोण (प्रकाशन नई दिल्ली 2013)' में कहा है कि समय पर हुए शोध दिखाते

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

है कि महिला पुलिसकर्मी 'जेल इरोजन' से ग्रसित है, अर्थात उन्हें उनकी पूर्ण समता से कार्य करने की आज्ञा नही दी जाती।

न्यायमूर्ति बी0 आर0 कृष्ण अय्यर – के अनुसार, ''मानव अन्याय की विरासत को मानव अधिकार की सम्पदा से विस्थापित कर दिया जाना चाहिए।'' अर्थात् महिलाओं के विरूद्ध संस्थागत भेदभाव का न के वल प्रतिषेध होना चाहिए, अपितु वास्तविक रूप में गैर कानूनी करार दे देना चाहिए।

हैराल्ड लास्की – के अनुसार, ''मानव अधिकार व्यक्ति के जीवन की ऐसी परिस्थितियां है, जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इस पृष्ठभूमि के आधार पर शोध पत्र प्राथमिक और द्वितीयक श्रोतो पर आधारित है, जो झांसी जिले के विशेष संदर्भ में है। इसके अतिरिक्त शोध पत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है।

प्रथम भाग 1 में अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

द्वितीय भाग 2 में महिला पुलिस के अधिकारों की चर्चा की गयी है।

तृतिय भाग 3 में विभिन्न वैयक्तित्व अध्ययनों का विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक चर्चा की गयी है।

शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र बुंदेलखण्ड की चर्चा की गयी है। बुंदेल खण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत झाँसी जिला स्थित है, जो उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश सीमा पर स्थित है। यह शहर पत्थर निर्मित किले के चारों तरफ फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 5024 किमी2 है। जनसंख्या 5 लोख से अधिक और धन्त्व 348/किमी² है। बुंदेल खण्ड अपनी विशिवर संस्कृति के लिए विख्यात है। इस क्षेत्र की कतिपथ विशेषताओं में विशिवर बुन्देल खण्डी बोदी की मधुरता सामयिक पर्व उत्सव तीज त्यौहार मेला आदि के अवसर पर अभिव्यक्त उल्लास, बेषाकी जिन्दा दिली अक्खड़पन आदि उल्लेखनीय है।

बुंदेलखण्ड का इतिहास झाँसी की रानी की वीरता के कारण जाना जाता है। अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं सेना का संचालन किया और डटकर अंग्रेजों से अपनी अन्तिम सांस तक लड़ाई लड़ी, जो कि वर्तमान महिला कमिशनर से कम नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य, प्रक्रम एवं वीरता से ही झाँसी जनपद गौरान्वित है।

महिला पुलिस के अधिकार सभी मानवों का रखेंगे हम पूरा ध्यान।
निभाएँ अपने दायित्व मिले हमें भी सम्मान।।

सी0आ0पी0सी0 की धारा 46 के मुताबिक महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी की गिरफ्तार करेगी। किसी भी महिला को पुलिस पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं करेगा 14 सी0आर0सी0पी0 धारा (1) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्य का ख्याल पुलिस को रखना है।

पास्को अधिनियम एवं महिलाओं से जुड़े अपराधों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा जॉच और रिपोर्ट लिखना आवश्यक हो गया है, क्योंकि किसी महिला के अधिकारों की रक्षा में महिला पुलिस अधिकारी बेहतर तरीकें से कर सकती है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत अधिक दयालु और संवेदन शील होती है।

महिला पुलिस जो नागरिको की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। क्या कभी हमने यह सोचा है कि उसके अधिकारो का भी हनन हो रहा है। विभिन्न अध्ययनों और केस स्टडी से पता चला है कि पुलिस व्यवस्था में महिला पुलिस के साथ भी भेदभाव होता रहा है।

पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकांश महिलाओं का ऑफिशियल कार्यों में ही संलग्न किया जाता है। उनके निर्णयों पर संदेह किया जाता है।

संविधान के आर्टिकल 21 (राइट टू लाइफ) के अनुसार, महिलाओं को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है जिसके तहत सरकारी दफ्तरों में उन्हें स्वच्छ शौचालय, साफ पानी और सही मात्रा में सेनेटरी प्रोइम्ट्स उपलब्ध होने चाहिए। 2019 पुलिसिग रिपोर्ट के अनुसार कई बार महिलाओ की ड्यूटी ऐसे स्थानों पर लगा दी जाती है जहॉ शौचालय पीने के पानी आदि का प्रबन्ध नहीं होता है, जिससे महिला पुलिस के स्वास्थ सम्बन्धी समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना हो जाती है।

मानव अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1993 जो सम्पूर्ण भारत में लागू है। इसके अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार (महिला हो या पुरूष)। पर वास्तव में यह सभी मायने में अमल नहीं होता। भारत की महिलाओं को आज भी साधारण माना जाता है और यहॉ हम आम महिला की बात नहीं कर रहे है – ये महिलाये देश की रक्ष कर रही है अर्थात् महिला पुलिस। राज्यपुलिस भर्ती के समय फार्म में साफ शब्दों में लिखा है Runnign 300 meter पुरूषों के लिए समय सीमा 3min 30 Second और महिलाओं के लिए 4min 20 Second है। इसका यह मतलब पुलिस बनने से पहले उन्हे यह बता दिया जाता है कि आप शारीरिक तौर पर कमजोर है।

केस स्टडी – 1 थाना नबाबाड झांसी की सब इस्पेक्टर मिथ्लेस कुमारी का कहला है कि उनके पति नही है और पति केस्थान पर वह नौकरी कर रही है। उनके तीन छोटे बच्चे है। त्यौहार के समय वह घर से दूर ड्यूटी करती रहती है। बच्चों की देखभाल के लिए भी घर पर कोई नहीं रहता। और वह भी बच्चों को समय नही दे पाती है। उनका कहना है कि यह नौकरी वह मजबूरी से कर रही है। कई बार वह खुद रात की सिफ्ट लगवाती है जिससे वह दिन में अपने बच्चों को समय दे सके। मिथलेस जी का कहना है कि हम ड्यूटी से नही घबराते लेकिन उसका भी एक समय निर्धारित हो। कार्यस्थल पर उनके बच्चों के लिए सुविधा हो जिससे वह छोटे बच्चों को साथ ला सके और उनकी देखभाल कर सके।

केस स्टडी – 1 थाना नबाबाड झांसी की सब इस्पेक्टर मिथलेस कुमारी का कहना है कि उनके पति नही है और पति के स्थान पर वह नौकरी कर रही है। उनके तीन छोटे बच्चें है। त्यौहार के समय वह घर से दूर ड्यूटी करती रहती है। बच्चों की देखभाल के लिए भी घर पर कोई नहीं रहता, और वह भी बच्चों को समय नही दे पाती है। उनका कहना है कि यह नौकरी वह मजबूरी से कर

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

रही है। कई बार वह खुद रात की सिट लगवाती है, जिससे वह दिन में अपने बच्चों को समय दे सके। मिथलेस जी का कहना है कि हम ड्यूटी से नही घबराते, लेकिन उसका भी एक समय निर्धारित हो। कार्यस्थल पर उनके बच्चों के लिए सुविधा हो जिससे वह छोटे बच्चों को साथ ला सके और उनकी देखभाल कर सके।

केस स्टडी – 2 शोभा देवी जो झांसी थाने में इन्चार्ज है और उनके पति भी पुलिस विभाग में है। उनका कहना है कि पुलिस की नौकरी 24 घण्टें की होती है क्योकि ड्यूटी का टाइम Fix नहीं होता कई दिनों तक वह अपने पति से मिल नहीं पाती। बच्चों को समय नहीं दे पाती। शोभा जी का कहना है कि कई बार तो ऐसा होता हम आ रहे होते है और हमारे पति ड्यूटी के लिए जा रहे होते है। हम दोनों कभी एक साथ बच्चों को समय नहीं दे पाते।

केस स्टडी – 3 दिल्ली पुलिस में कार्यरह सब इस्पेक्टर सुमन कुशवाहा का कहना है कि हमारे P.P.R. में लिखा है That you are duty found 27/7 Round D'C lock किसी वजह से अगर हम किसी कारण से काम को मना करते है तो हम पर इन्क्योरी लिख दी जाती है और हमको Dismis भी किया जा सकता है। आगे सुमन जी कहती है कि कार्यस्थल और घर में भी हमें रूडली, फरस्टेडउ कहा जाता है वह हम से पूछती हुयी कहती है कि अगर एक व्यक्ति एक दिन जागरण करता है तो वह 3 दिन ठिक से सो नही पाता और यदि उन्हे सुबह जाग कर ड्यूटी करनी है तो वह कैसे स्माइलिंग केस के साथ डिलिंग करेंगी।

केस स्टडी – 4 दिल्ली में कार्यरत मीनाक्षी सिंह का कहना है उन्होंने प्रेम विवाह किया। और पूरी कोशिश की कि वैवाहिक जीवन को सही से निभा सके। लेकिन उनके ससुराल में उनके साथ गाली – गलौज की जाती है वह भी घरेलू – हिंसा की शिकार हुयी है और अब बात तलाक तक पहुँच गयी है। मीनाक्षी जी का कहना है कि हर बात पर ससुराल में उन्हे कहा जाता था कि अपनी थाने गिरी मत झाड़ों अन्त में मीनाक्षी कहती है कि मैनें कितनी महिलाओं के साथ अत्याचारों से लड़ा है और आज हमारे साथ भी हिंसात्मक घटनाए हुयी है। आखिर क्यों ? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वह महिला है।

सुझाव–

- महिलाओं को मानव अधिकारों का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना तथा उन्हें पुरूषों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक और न्यायिक आदि सभी क्षेत्रों में आधार भूत स्वतंत्रता में समान रूप से हिस्सेदारी बनाना।
- महिलाआं के प्रति किसी तरी के भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित कानूनी प्रणाली और सामुदायिक प्रकिया विकसित करना।
- किसी भी राष्ट्र की सभ्यता, उसकी समृद्वता एवं विकास की पृष्ठभूमि समाज के सामान्य वातावरण में निहित होती है सभ्य समाज मानवीय मुल्यों की एक बहुमूल्य ईश्वरीय कृति है, जिसका विकास मजबूत कानून व्यवस्था की पृष्ठभूमि में अंत निहित होता है।
- पुलिस थाने में महिला – अपराधों व महिला अधिकारों में संबंधित कानूनी की जानकारी उपलब्ध कराया जाय।
- महिला पुलिसकर्मियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन का अवकाश दिया जाना चाहिए।
- महिला पुलिस आवासीय परिसर में कर्मियों के बच्चों हेतु शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
- महिला पुलिस कर्मियों की अधिकारियो/राजनेताओं के घरों में ड्यूटी नही लगाना चाहिए।
- उन्हे अच्छे आवास और वेतन की सुविधा भी देना चाहिए।

निष्कर्ष– आज महिला पुलिस के सामन अनेक प्रकार की चुनौतियॉ है, उन्हें विभिन्न अपराधों को रोकते हुए परिवारिक एवं विभागीय दायित्वों को भी निभाना पड़ता है। इसके साथ ही हमारे देश में किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन न होन पाए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। महिला पुलिस परिवार समुदाय और कार्यस्थल के मध्य भूमिका अन्तर्द्वन्द में समायोजन स्थापित ठीक से न स्थापित कर पाने के कारण व्यवस्था में उतने अच्छे परिणाम नही दे पाती, जितनी कि उससे अपेक्षा की जाती है क्योंकि वह स्वयं पूरी तरह अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रही है। इसके लिए समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए और महिला पुलिस के लिए समाज और विभाग दोनों में एक अच्छाा नजरिया और अच्छे विचार होने चाहिए। अभी हाल मे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा मानव अधिकार नारा नही संस्कार होना चाहिए। लोकनीति का आधार होना चाहिए। अतः इन विचारों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नारी सम्मान और उसके अधिकारों का ख्याल रखना चाहिए। अन्त में मै यही कहना चाहूँगी कि समाज सरकार प्रशासन पुलिस मीडिया और लेख के माध्यम से जन – जन तक हमारी आवाज पहुँचे महिला सुरक्षा के मुद्दे में जन जागरूकता व सजगता आए, यही हमारा प्रयास है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, जी0 एल (2015) सामाजिक मुद्दें, रावत पब्लिकेशन।
2. त्रिपाठी, डा0 टी0पी0 (2015) मानव अधिकार इलाहाबाद ला एजेन्सी पब्लिकेशन्स।
3. नाटाणी नारायण प्रकाशन (2005) सबलाइन पब्लिकेशन्स जयपुर।
4. बेदी, डॉ0 किरण (2013) मुद्दें एवं दृष्टिकोण, डायमण्ड पाकेट बुक (प्राइवेट लिमिटेड) नई दिल्ली।
5. पुलिस विज्ञान पत्रिका (पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरो) गृह मंत्रालय, NHB महियालपुर नई दिल्ली।
6. पुलिसिंग रिपोर्ट (2019).

*****